(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir.

(b) A 550 KW wind farm project of the Department of Non-Conventional Energy Sources is under implementation in Tirumala Hills in Chittor district of Andhra Pradesh. Wind monitoring is being carried out in other areas of the State.

Distribution of power generated by NTPC

562. DR. NARREDDY THULASI REDDY:

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state the procedure adopted for the distribution of power generated by N.T.P.C. to the various states?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): The following formula is adopted for allocation of power from the pithead thermal power stations of the National Thermal Power Corporation :—

(a) 15 per cent power is kept unallocated, at the disposal of the Centre, to meet the urgent requirements of individual States in the Region, from time to time.

(b) 10 per cent power is allocated to the "Home State" in which the power station is located.

(c) The balance 75 per cent power is distributed amongst the beneficiary States in the Region, including the "Home State", in accordance with the energy consumption by, and the Central Plan assistance to, the States during the last five years. The needs of the Union Territories are also met by appropriate allocation.

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में नियोजित डाक्टर

563. **श्री सोहन लाल धुसिया :**

श्री राम चन्द्र विकल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कार्यरत एम०बी०बी०एस डाक्टरों की संख्या कितनी है उनमें से क्रमशः कितने हरिजन और आदिवासी हैं ;

(ख) यदि आरक्षण कोटे की शर्तों के अनुरूप हरिजन और आदिवासी डाक्टरों की संख्या कम है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कमी को पूरा करके उन्हें न्याय प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(ग) अब तक इस कमी के बने रहने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में इस समय 35 एम.बी.बी.एस. डाक्टर कार्य कर रहे है जिनमें से तीन अनुसूचित जाति तथा दो डाक्टर अनसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस कमी को पूरा करने का प्रयास करेगी बशर्ते कि इन वर्गों में उचित अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध हों।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आरक्षित रिक्तियों को आगामी वर्षों में अग्रेनीत किया क्योंकि उनके अनुमोदित पैनल पर अ०जा/ अ०ज०जा के कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।